संख्या–1/3/96–का–4–2010

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक: 21 अप्रैल ,2010

विषयः–सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण सत्र 2010–2011 में स्थानान्तरण किये जाने हेतु शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:–

(1) स्थानान्तरण सत्र 2010–2011 में किसी भी संवर्ग में किसी भी श्रेणी के कार्मिकों के स्थानान्तरण नहीं किये जायेंगे ।

(2) पदोन्नति, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति एवं मा. न्यायालयों के आदेशों के प्रभाव से वांछित स्थितियों में, स्थान रिक्त होने पर, तैनाती की कार्यवाही, मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर की जा सकेगी ।

(3) अपरिहार्य परिस्थितियों, जैसे–चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा एवं प्रशासनिक कारणों आदि के आधार पर आवश्यक स्थानान्तरण, मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर, किये जा सकेंगे ।

(4) इस स्थानान्तरण नीति के प्राविधान सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों आदि पर यथावत् प्रभावी होंगे ।

(5) पुलिस विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत, इस स्थानान्तरण नीति से पुलिस विभाग मुक्त रहेगा ।

(6) अपरिहार्य परिस्थितियों में जिले के अन्दर एक स्थान से दूसरे स्थान तथा जिले के अन्दर एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे ।

(7) जनहित में मा. मुख्य मंत्री जी द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे ।

2 उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव

संख्या–1/3/96(1)–का–4–2010, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण ।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/मंत्रिमण्डलीय सचिव, उत्तर प्रदेश ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7. विशेष कार्याधिकारी, सूचना, मा. मुख्य मंत्री जी ।
8. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(कुंवर फतेह बहादुर)
प्रमुख सचिव